उत्तराखण्ड शासन

परिवहन अनुभाग–1

अधिसूचना

10 अगस्त, 2018 ई0

संख्या 469/IX-1/54/2018–भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या–G.S.R. 711(E), दिनांक 21 जुलाई, 2016 के माध्यम से एक 'डिजीलॉकर प्राधिकार' गठित किया गया है, जिसके तहत विकसित डिजीटल प्लेटफार्म के अन्तर्गत मूलतः निर्गत प्रमाणपत्र एवं अन्य अभिलेखों का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप संग्रहित है। इसे नागरिकों के ''आधार नम्बर'' के माध्यम से इस्तेमाल किया जा सकता है।

2–इस डिजीटल प्लेटफार्म के अन्तर्गत वर्तमान में नागरिकों को निर्गत चालक अनुज्ञप्ति (Driving Licence) एवं वाहन निबंधन प्रमाणपत्र (Registration Certificate) की सुविधा उपलब्ध है जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नेशनल रजिस्ट्रार से इंट्रीगेट किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत डिजीलॉकर में उपलब्ध ये अभिलेख एवं प्रमाणपत्र मूल अभिलेख/प्रमाणपत्र के समरूप समझा जायेगा बशर्ते वह लिंक आधारित या डाटाबेस से निर्गत प्राधिकार द्वारा निर्गत हो अर्थात वह व्यवस्था मात्र issued document हेतु लागू होगा, न कि uploaded document में।

3–सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा विकसित डिजीलॉकर के साथ सम्बद्ध है जिसके फलस्वरूप नागरिकगण वाहन चालक अनुज्ञप्ति (DL) एवं वाहन निबंधन प्रमाणपत्र (RC) अपने ''आधार नम्बर'' के माध्यम से डाउनलोड कर उपयोग कर सकते है।

4–अतः उपरोक्त के क्रम में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा डिजीटल व्यवस्था को प्रोत्साहित किये जाने एवं आम नागरिकों की सुविधा हेतु इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा विकसित ''डिजीलॉकर एप'' के माध्यम से आम नागरिकों द्वारा अपने वाहन चालक अनुज्ञप्ति (Driving Licence) एवं वाहन निबंधन प्रमाणपत्र (Registration Certificate) को सुरक्षित रखे जाने तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रति को आवश्यकतानुसार उपयोग किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है।

5–उक्त सूचना प्रौद्योगिकी आधारित ऑनलाइन प्रमाण पत्रों के प्रमाणीकरण की व्यवस्था लागू होने के उपरान्त नागरिकों के समय की बचत के साथ उनके प्रांसगिक अभिलेखों की प्रमाणिकता सुनिश्चित होगी तथा इसे प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्रों की पुष्टि करने से यातायात नियमों के बेहतर अनुपालन एवं प्रभावी मानिटरिंग सुनिश्चित की जा सकेगी। इस व्यवस्था के लागू होने से नागरिकों को 'चालक अनुज्ञप्ति' तथा 'वाहन निबंधन प्रमाणपत्र' को भौतिक रूप में अपने साथ रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके विकल्प स्वरूप उनके द्वारा अपने मोबाइल फोन के 'डिजीलॉकर ऐप (Digilocker App) के अन्तर्गत उपलब्ध अभिलेखों की इलेक्ट्रॉनिक प्रति का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।

शैलेश बगौली,
सचिव।

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 20–10–2018, भाग 1 में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित––]
पी0एस0यू0 (आर0ई0) 08 परिवहन/627–16–11–2018–50 (कम्प्यूटर/रीजियो)।